

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2014/ 5862

जयपुर, दिनांक 05/05/15

जिला कलेक्टर, (सहायता)
जैसलमेर (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति एवं दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2051 दिनांक 11.04.15 एवं 3782 दिनांक 18.04.2015 व 4664, 4665 दिनांक 29.04.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1 (1) (4) आ.प्र.सआ/सामान्य / 2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव संवत् 2071 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात एवं दिशा निर्देशों की पालना मय आपकी टिप्पणी दिनांक 29.4.2015 के आधार पर दी जा रही है। इसमें किसी तरह की अनियमितता एवं लापरवाही सामने आने पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टिव एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु जारी दिनांक से 30 दिवस तक पशु शिविरों के खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	पशु शिविर स्थल का नाम	संचालक संस्था का नाम	प्रस्तावित पशु संख्या		
					बड़े	छोटे	योग
1	पोकरण	खेतोलाई	मेगवालों का वास	सरपंच ग्राम पंचायत खेतोलाई	180	20	200
2	पोकरण	खेतोलाई	खेतोलाई दक्षिण	सरपंच ग्राम पंचायत खेतोलाई	180	20	200
3	पोकरण	खेतोलाई	केमराणियों का वास	सरपंच ग्राम पंचायत खेतोलाई	180	20	200
4	पोकरण	खेतोलाई	खेतोलाई पश्चिम मंगलपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत खेतोलाई	180	20	200

2/12/15

5	पोकरण	खेतोलाई	चाचा	सरपंच ग्राम पंचायत खेतोलाई	180	20	200
6	पोकरण	सादा	मेघवालों का वास	सरपंच ग्राम पंचायत सादा	180	20	200
7	पोकरण	सादा	राठोडा उत्तरी वास	सरपंच ग्राम पंचायत सादा	90	10	100
8	पोकरण	सादा	राठोडा दक्षिणी वास	सरपंच ग्राम पंचायत सादा	90	10	100
9	पोकरण	सादा	दुधिया	सरपंच ग्राम पंचायत सादा	140	10	150
10	पोकरण	सादा	नया मलका	सरपंच ग्राम पंचायत सादा	90	10	100
11	पोकरण	सादा	उदावत नगर	सरपंच ग्राम पंचायत सादा	90	10	100
12	पोकरण	सादा	देदोलाई ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत सादा	180	20	200
13	पोकरण	नेडान	पडिहारों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत नेडान	140	10	150
14	पोकरण	नेडान	नारायणपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत नेडान	140	10	150
15	पोकरण	नेडान	गमनों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत नेडान	140	10	150
16	पोकरण	नेडान	नेडान	सरपंच ग्राम पंचायत नेडान	180	20	200
17	पोकरण	नेडान	मदासर की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत नेडान	180	20	200
18	पोकरण	नेडान	आचार्यों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत नेडान	90	10	100
19	पोकरण	चौक	चौक पूर्वी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत चौक	180	20	200
20	पोकरण	चौक	चौक पश्चिमी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत चौक	140	10	150
21	पोकरण	चौक	रामपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत चौक	140	10	150
22	पोकरण	चौक	प्रतापपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत चौक	90	10	100
23	पोकरण	चौक	प्रा.वि.प्रतापपुरा के पास	सरपंच ग्राम पंचायत चौक	90	10	100
24	पोकरण	चौक	महेशों की ढाणी पूर्वी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत चौक	180	20	200
25	पोकरण	चौक	नई गुड्डी पश्चिमी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत चौक	90	10	100
26	पोकरण	डिडाणिया	प्रोहितसर	सरपंच ग्राम पंचायत	90	10	100

20

				डिडाणिया			
27	पौकरण	डिडाणिया	डिडाणिया	सरपंच ग्राम पंचायत डिडाणिया	180	20	200
28	पौकरण	डिडाणिया	सुथारों की बेरी	सरपंच ग्राम पंचायत डिडाणिया	180	20	200
29	पौकरण	डिडाणिया	मोराणी	सरपंच ग्राम पंचायत डिडाणिया	90	10	100
30	पौकरण	सनावडा	सनावडा पूर्वी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा	180	20	200
31	पौकरण	सनावडा	नया सनावडा पूर्वी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा	180	20	200
32	पौकरण	सनावडा	नया सनावडा दक्षिणी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा	140	10	150
33	पौकरण	सनावडा	नया सनावडा पश्चिमी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा	180	20	200
34	पौकरण	सनावडा	मेहरनगर	सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा	90	10	100
35	पौकरण	सनावडा	नया सनावडा उत्तरी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत सनावडा	180	20	200
36	पौकरण	केलावा	केलावा पश्चिमी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत केलावा	140	10	150
37	पौकरण	केलावा	केलावा दक्षिणी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत केलावा	90	10	100
38	पौकरण	केलावा	केलावा उत्तरी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत केलावा	90	10	100
39	पौकरण	केलावा	सुगनपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत केलावा	90	10	100
40	पौकरण	केलावा	बिलीया	सरपंच ग्राम पंचायत केलावा	90	10	100
41	पौकरण	केलावा	तलिया	सरपंच ग्राम पंचायत केलावा	180	20	200
42	फतेहगढ़	रासला	रासला	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
43	फतेहगढ़	रासला	नया रासला	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	90	10	100

2/11

44	फतेहगढ़	रासला	अचला	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
45	फतेहगढ़	रासला	नया अचला	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
46	फतेहगढ़	रासला	भीखसर	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
47	फतेहगढ़	रासला	कराडा	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
48	फतेहगढ़	रासला	लाला	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	90	10	100
49	फतेहगढ़	रासला	भोपा	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
50	फतेहगढ़	रासला	सांवता	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
51	फतेहगढ़	रासला	मेहराजोत	सरपंच ग्राम पंचायत रासला	180	20	200
52	फतेहगढ़	नरसिंगों की ढाणी	नलकून के पास उगवा	सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंगों की ढाणी	180	20	200
53	फतेहगढ़	नरसिंगों की ढाणी	पडियारों का वास कोरवा	सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंगों की ढाणी	180	20	200
54	फतेहगढ़	नरसिंगों की ढाणी	हनुमान मंदिर के पास नरसिंगों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत नरसिंगों की ढाणी	180	20	200
				योग:-	7870	830	8700

नोट:- 74 पशु शिविरों में से 42 पशु शिविरों की स्वीकृति दी जा रही है। प्रस्ताव के क्र.सं. 33 हेतु दूरभाष पर श्री नवीन गोयल, लेखाकार से वार्तानुसार रिपोर्ट में लिये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर पशु संख्या 950 ही है। अतः क्र. सं. 33 को स्वीकृति में शामिल नहीं किया जाये।

विभागीय पत्र क्रमांक 4180-203 दिनांक 06.04.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पशु शिविर संचालन करने की कार्यवाही करें:-

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संघारित किया जावे।
3. गत वर्षों में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह-शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-


9/12

- (i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
 - (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 - (iii) यदि पशुपालको द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।
 - (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/-रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50/- रु. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।
 - (vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।
 - (vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्ट्रों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
 - (viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।
4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-
- (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
 - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
 - (iii) स्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
 - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
 - (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
 - (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
 - (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
 - (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
 - (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
 - (x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
 - (xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
 - (xii) संस्था के प्रबन्धक/अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
 - (xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं
 - (xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।
6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्ट्रों का संधारण कराया जाए।:-
 क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
 ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
 ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
 घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।
10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।
11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।
12. किसी भी संचालक संस्था, जिसके माध्यम से पशु शिविर संचालित किये जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव स्वीकृत करें।
13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्ट्रों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंसा जिला कलेक्टर को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त प्रस्ताव इन कार्यालय को प्रेषित करें।
14. जिला कलेक्टर सम्बन्धित पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।
15. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
16. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविरों के संचालन के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जाये। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)

17. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित किये जाने वाले पशु शिविरों हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक पत्रावलियां खोली जाएंगी एवं इससे सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे।
18. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाले पशु शिविरों पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नॉर्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्वत 2071 में खरीफ फसल खराबे के समय किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाईन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग होने का उल्लेख किया जाये।
19. स्वीकृति जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र लिया जाना सुनिश्चित कर ले की जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सेवी संस्था द्वारा पशु शिविर संचालन किया जाना है, तो उस ग्राम पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र की शर्त के साथ स्वीकृति दी जा सकती है। यदि पंचायत स्वयं पशुशिविर संचालन करना चाहती है तो अपने स्तर से इसे प्राथमिकता देवे।
उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,



शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।



शासन संयुक्त सचिव

